

**राज्यों और विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण
(केंद्रीय करों और शुल्कों की निवल आगमों में राज्यों के हिस्से को छोड़कर)**

(₹ करोड़)

व्यय की वस्तुएँ	2016-2017 वास्तविक	2017-2018 संशोधित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
I. अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें	48054.27	39386.29	54482.00
क एनडीआरएफ से राज्यों की सहायता	11441.29	7167.00	10000.00
ख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल	647.29	701.06	692.00
ग विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-अनुदान	3498.47	3000.00	4500.00
घ विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-ऋण	17763.59	17500.00	20000.00
ङ पूर्वोत्तर विकास परिषद की स्कीमें	547.26	713.23	524.00
च संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत स्कीमें	1265.81	1288.00	1545.00
छ मांग के अंतर्गत विशेष सहायता-राज्यों को अंतरण	10899.61	7000.00	15000.00
ज मांग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को विशेष केंद्रीय सहायता-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	795.92	770.00	976.00
झ मांग के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र को विशेष केंद्रीय सहायता जनजातीय कार्य मंत्रालय	1195.03	1247.00	1245.00
II. वित्त आयोग की अनुदान	95550.30	101490.18	109373.50
क ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	31370.52	39040.96	45069.18
ख शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	14497.83	17247.42	19870.19
ग एसडीआरएफ हेतु सहायता अनुदान	8374.95	9382.80	9852.13
घ हस्तांतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान	41307.00	35819.00	34582.00
III. राज्यों को कुल अंतरण [(I)+(II) से इतर]	228957.23	296724.47	310987.41
क केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	225848.45	263782.99	277754.35
ख केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	2406.95	31765.37	32186.36
ग व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	696.83	939.45	898.04
घ पूंजी अंतरण	5.00	236.66	148.66
IV. दिल्ली और पुडुचेरी को कुल अंतरण	5112.74	5271.90	6499.95
क केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	1327.56	1456.05	1643.24
ख केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	4.50	72.17	86.70
ग व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	3708.68	3671.68	4770.01
घ पूंजी अंतरण	72.00	72.00	...
कुल जोड़	377674.54	442872.84	481342.86

इस विवरण में राज्यों को अंतरण से संबंधित मुख्य शीर्षों और राज्यों को अंतरण से संबंधित राजस्व व्यय खंड के अंतर्गत कतिपय कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए आवंटन दर्शाए गए हैं।

[^] पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के संबंध में किए गए प्रावधानों सहित।